संख्या–1524/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक, पुरूष/महिला/ संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ :दिनांक:21 जुलाई, 2020**

विषय :कोविड–19 रोगियों को डिस्चार्ज करने हेतु पुनरीक्षित डिस्चार्ज पॉलिसी।

महोदय,

उपर्यक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती कोविड–19 रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1307/पांच–5–2020 दिनांक 19 जून, 2020 द्वारा निर्गत आदेशों को अवक्रमित करते हुये निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. **लक्षण विहीन रोगियों के लिएः–**

(i) घर पर आइसोलेशन (होम आइसोलेशन) में रखे गए लक्षण विहीन (Asymptomatic) रोगियों हेतु व्यवस्थाः–

जिन रोगियों को शासनादेश संख्या–1522/ पाँच-5–2020, दिनांक 20 जुलाई के अनुक्रम में .होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई है, ऐसे रोगियों की प्रविष्टि जिला सर्विलांस अधिकारी अधिष्ठान के द्वारा upcovid19tracks.in पोर्टल पर होम आइसोलेशन के अंतर्गत की जाएगी, इस हेतु आवश्यक व्यवस्था पोर्टल पर कर दी गयी है। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होम आइसोलेशन प्रारंभ होने की तिथि से 10 दिवसों तक प्रतिदिन ऐसे रोगियों को फोन कर उनमें किसी लक्षण विकसित होने के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे। यदि होम आइसोलेशन में रखे गए रोगी में होम आइसोलेशन प्रारंभ होने के उपरांत 10 दिनों की अवधि में किसी प्रकार का कोई लक्षण प्रदर्शित होता है तो ऐसे रोगी को लक्षण एवं रोगी की आयु तथा को–मॉर्बिडिटीज की स्थिति के अनुसार कोविड उपचार इकाई में भर्ती कराया जायेगा। होम आइसोलेशन प्रारंभ होने के उपरांत 10 दिनों तक किसी प्रकार का कोई लक्षण प्रदर्शित न होने की स्थिति में रोगी को रिकवर्ड माना जाएगा तथा पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि भी रिकवर्ड के रूप में की जाएगी, इस हेतु फॉलो–अप जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सभी रोगी इस 10 दिन की अवधि (पोर्टल पर रिकवर्ड घोषित होने के उपरान्त) के उपरांत भी 7 दिवसों तक होम आइसोलेशन में ही रहेंगे।

(ii) कोविड फैसिलिटी में भर्ती लक्षण विहीन (Mild Asymptomatic) रोगियों हेतु व्यवस्था :–

रोगियों को यदि कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए हैं तो प्रारम्भिक जाँच के दसवें दिवस अथवा भर्ती होने की तिथि के सातवें दिवस (दोनों में से जो तिथि बाद में

आए) पर बिना किसी जाँच के डिस्चार्ज किया जायेगा ऐसे रोगियों को डिस्चार्ज होने के उपरान्त 08 दिन घर पर अनिवार्य होम आइसोलेशन में रहना होगा।

2. शुरुआती लक्षण वाले अथवा हल्के/कम तीव्रता के (Mild) लक्षणों वाले रोगियों हेतु डिस्चार्ज पॉलिसीः–

इस श्रेणी में ऐसे रोगी रखे जायेंगे जिनमें बहुत हलके लक्षण प्रदर्शित हुए हैं यथा हल्की खांसी, बुखार, गले में दर्द, गले में खराश इत्यादि । इन मरीजों का फॉलो–अप सैंपल ट्रू नाट मशीन पर जाँच हेतु प्रथम सैंपल (डायग्नोस्टिक सैंपल) लिए जाने के आठवें दिन एकत्र किया जाएगा । फॉलो–अप सैंपल के ऋणत्मक आने की स्थिति में इन मरीजों को निम्न में से जो तिथि सबसे बाद में आये, उस तिथि से 7 दिन घर पर होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जायेगा –

क. प्रथम सैंपल (डायग्नोस्टिक सैंपल) लिए जाने के उपरांत 10 दिवस

ख. लक्षण प्रदर्शित होने के उपरांत 10 दिवस

ग. निरंतर बिना बुखार के 3 दिवस

3. मध्यम तीव्रता वाले लक्षणों (Moderate) तथा गंभीर रोगियों (Severe) हेतु डिस्चार्ज पालिसी

i. मध्यम तीव्रता (Moderate) श्रेणी

ऐसे रोगी जिनमें लोअर रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण प्रदर्शित हुए हों, यथा खाँसी बुखार इत्यादि के साथ साँस लेने में परेशानी, नेजल फ्लेयरिंग, पसली चलना, तीव्र श्वास दर आदि। इस प्रकार के रोगियों को **L2/L3 Facility* (Dedicated COVID Hospital)** पर भर्ती अथवा संदर्भित किया जायेगा।

ii. गंभीर रोगी की श्रेणी

ऐसे रोगी आयेंगे जिन्हें ऑक्सीजन दिए जाने पर भी ये मरीज ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें वेंटीलेटर की आवश्यकता है अथवा जो इम्यूनो कम्प्रोमाईज्ड (कैंसर अथवा एच आई वी रोगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए हुए व्यक्ति) हैं। इस प्रकार के रोगियों को **L2/L3 Facility* (Dedicated COVID Hospital)** पर भर्ती अथवा संदर्भित किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों के रोगियों का फॉलो अप रोगी के लक्षण विहीन होने के तीन दिवस उपरान्त अथवा प्रथम सैंपल (डायग्नोस्टिक सैंपल**) लिए जाने के 12 दिन उपरान्त (दोनों में से जो तिथि बाद में आती हो) लिया जायेगा । फॉलो अप सैंपल ऋणात्मक आने की स्थिति में रोगी को 7 दिन घर पर होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जायेगा।

<u>सभी श्रेणियों के रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जायः–</u>

- रोगी में किसी प्रकार के लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं ।
- डिस्चार्ज किये जाने से पूर्व तीन दिवसों तक रोगी निरंतर ज्वर विहीन है।
- रोगियों को ऑक्सीजन सैचुरेशन बिना किसी सपोर्ट के 94% से ऊपर है ।
- गंभीर रूप से बीमार रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने से पूर्व उनका एक्स–रे चेस्ट भी कराया जाना उचित होगा।

– 3 –

अन्य आवश्यक निर्देश –

1. सभी प्रकार के मरीजों को डिस्चार्ज किए जाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके द्वारा कोविड फैसिलिटी में भर्ती रहने की अवधि के दौरान पहने गए वस्त्रों को भली–भांति विसंक्रमित कर दिया गया है। साथ ही डिस्चार्ज किए जाते समय इन मरीजों के मोबाइल फोन, जूते चप्पल तथा अन्य सभी सामग्री का विसंक्रमण अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अथवा हाइड्रोजन पराक्साइड के द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

2. इन मरीजों को यह निर्देश भी अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए कि वह घर पर जाने के उपरांत वर्तमान में पहने गए कपड़ों को गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह धुलवाने के उपरांत ही पुनः प्रयोग करें।

3. सभी मरीजों से होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों सहित अन्य सभी सभी आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करने के सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कराये जाएँ। सहमति पत्र के प्रावधानों को विस्तार से समझाया जाए तथा यह बताया जाये कि किस प्रकार होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने पर वे अपने परिवार तथा समाज में इस बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद कर पाएंगे।

4. डिस्चार्ज के उपरान्त पुनः लक्षण प्रदर्शित होने पर इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर के हेल्पलाइन नम्बर पर आवश्यक रूप से सूचित करने हेतु निर्देशित करें।

5. डिस्चार्ज होने के 14 दिवसों के उपरान्त पुनः लक्षण प्रदर्शित होने की स्थिति में व्यक्ति को नवीन रोगी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,
21.7.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1524 (1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

21/07/2020
21.07.2020